भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 1581
गुरूवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में बंगस घाटी

1581 श्री चौधरी मोहम्मद रमज़ान:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या सरकार बंगस घाटी को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने का विचार रखती है, जिसके लिए विशेष वित्तपोषण, समर्पित पर्यटन विकास प्राधिकरण और विश्व स्तरीय अवसरंचना प्रदान की जाएगी ताकि इसका सतत विकास सुनिश्चित हो सके?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

पर्यटन मंत्रालय किसी भी पर्यटन स्थल को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने के लिए किसी योजना का संचालन नहीं कर रहा है। यद्यपि, पर्यटन विकास के लिए उपयुक्त संरचनाओं की स्थापना सहित पर्यटन का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है, तथापि मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं, जैसे 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को, योजना दिशानिर्देशों और सरकारी निर्देशों के अनुरूप, उनसे परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति पर तथा निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता आदि के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान करके पर्यटन विकास के प्रयासों को संपूरित करता है।

स्थानीय स्तर पर गंतव्यों के सतत विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने गंतव्य प्रबंधन संगठन (डीएमओ) की अवधारणा की परिपक्लपना की है और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से परामर्श किया है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयुक्त विभिन्न प्रकार के संगठनों और उनसे संबंधित डीएमओ के लिए उपयुक्त संगठनात्मक संरचनाओं को चिह्नित करने के बारे में भी सलाह दी है।

*****